

सुगम से दुर्गम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र० सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	010099554	इ० रणजीत सिंह, मुख्य अभियन्ता स्तर- II	मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून	देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अधिनियम-17 (1) ख (4) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी की स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

12/05/2026

नाम-इ० रणजीत सिंह

पदनाम-मुख्य अभियन्ता स्तर-II

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

12/05/2026

नाम-इ० रणजीत सिंह

पदनाम-मुख्य अभियन्ता स्तर-II

OK

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इ० रणजीत सिंह	मुख्य अभियन्ता स्तर- II	मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून	पिथौरागढ़/ तेजम	1 क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर, देहरादून के पत्रांक-सी०एच०सी०/ विविध/ 2026-27/ दिनांक-21.04.2026 द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न है।	अधोहरताक्षरी की पत्नी डॉ० मजू रावत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर, देहरादून में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के नियमित पद पर कार्यरत हैं जिस कारण उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अधिनियम-17 (1) ख (4) के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी की स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने की कृपा करें।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-इ० रणजीत सिंह
पदनाम-मुख्य अभियन्ता स्तर- II

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-इ० रणजीत सिंह
पदनाम-मुख्य अभियन्ता स्तर- II

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर, देहरादून।

पत्रांक- सी.एच.सी./विविध/2026-27/


दिनांक 21 अप्रैल, 2026

-:: प्रमाण पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि डा. मंजू रावत पत्नी श्री रणजीत सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर देहरादून में दिनांक 08.10.2021 से वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर नियमित रूप से कार्यरत है।

स्थान- देहरादून।

दिनांक- 21.04.2026



(डा. प्रताप सिंह रावत)
चिकित्सा अधीक्षक,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर,
चिकित्सा अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर,
देहरादून।

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र० सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	10099598	दिवाकरण सिंह ह्यांकी/ मुख्य अभियन्ता स्तर-II	क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० अल्मोड़ा	- - - - - - - - -	वर्तमान कार्यालय में मेरी तैनाती को जारी पात्रता सूची के अनुसार 283 दिन ही हुए हैं। मैं दुर्गम कार्यस्थल (इसी कार्यालय) में ही तैनात रहने का इच्छुक हूँ। अतः शासनादेश सं० I/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु 4 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुझे दुर्गम से सुगम कार्यालय हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय।

हस्ताक्षर (कार्मिक)  07/11/26

नाम- दिवाकरण सिंह ह्यांकी
पदनाम- मुख्य अभियन्ता स्तर-II

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)  07/11/26

नाम- दिवाकरण सिंह ह्यांकी
पदनाम- मुख्य अभियन्ता स्तर-II

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिवाकरण सिंह ह्यांकी	मुख्य अभियन्ता स्तर-II	क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० अल्मोड़ा	पिथौरागढ़/ धारचूला	-	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	वर्तमान कार्यालय में मेरी तैनाती को जारी पात्रता सूची के अनुसार 283 दिन ही हुए हैं। मैं दुर्गम कार्यस्थल (इसी कार्यालय) में ही तैनात रहने का इच्छुक हूँ। अतः शासनादेश सं० I /130236/ XXX (2) -33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु 4 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुझे दुर्गम से सुगम कार्यालय हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय।
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (एक)	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (दो)	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (तीन)	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (चार)	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (पाँच)	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (छः)	-						
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (सात)	-						

हस्ताक्षर (कार्मिक)

dl 07/5/26

नाम-

दिवाकरण सिंह ह्यांकी

पदनाम-

मुख्य अभियन्ता स्तर-II

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

dl 07/5/26

नाम-

दिवाकरण सिंह ह्यांकी

पदनाम-

मुख्य अभियन्ता स्तर-II